



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

10883 / SEIAA/16

Date: 01/02/16

कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum)

रेत खनन के प्रकरणों में माननीय एनजीटी सेन्ट्रल बेंच भोपाल द्वारा अपील क्र. 53/201 दिनांक 06.01.2015 में पारित आदेश के परिपालन में MP-SEIAA द्वारा 284वी बैठक दिनांक 23.01.2016 में नीतिगत निर्णय लिया गया है।

निर्यणानुसार रेत खनन के समस्त प्रकरणों में संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म के द्वारा अनुमोदित एवं जारी किये जाने वाले माईनिंग प्लान में रेत के Annual Replenishment एवं सूखे मौसम (Lean Season) में जल के सामान्य स्तर के बारे में जानकारी समाहित की जायेगी।

रेत खनन के नवीन प्रकरणों में आवेदक द्वारा जमा की जाने वाली हार्ड कॉपी के साथ प्रस्तुत की जाने वाली सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित खनन योजना में रेत के Annual Replenishment एवं सूखे मौसम (Lean Season) में जल के सामान्य स्तर की जानकारी के बारे में एक पृथक अध्याय का अपरिहार्य रूप से समावेश किया जाना है। इस अध्याय के बिना प्रस्तुत खनन योजना को SEIAA कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त ऐसे प्रकरण जो SEAC द्वारा पूर्व पर्यावरणीय अनुमति हेतु अनुशंसित है, उन प्रकरणों पर सक्षम अधिकारी से अनुमोदित संशोधित खनन योजना, जिसमें रेत के Annual Replenishment एवं सूखे मौसम (Lean Season) में जल के सामान्य स्तर की जानकारी के बारे में एक पृथक अध्याय जोड़ा गया है, के प्रस्तुत होने के पश्चात् ही सिया द्वारा विचार किया जायेगा। तत्पश्चात इन प्रकरणों को SEAC के पुनर्मूल्यांकन हेतु भेजा जायेगा।

रेत खनन के ऐसे प्रकरणों पर जिनमें पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है उनमें SEAC के साथ विचार विमर्श कर एक कार्यशील व्यवस्था बनायी जानी है।

(अजातशत्रु श्रीवास्तव)

सदस्य सचिव

भोपाल दिनांक - 01/02/16

पृ.क्र. 10884/SEIAA/2016

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष/सदस्य, MP-SEIAA भोपाल
2. सभी अधिकारी MP-SEIAA एवं SEAC भोपाल
3. सभी संबंधित
4. गार्ड फाईल
5. MP-SEIAA वेबसाइट

(अजातशत्रु श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव